

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 263+

जिसका उत्तर मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019/28 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक आयात

263+. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बड़े पैमाने पर उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है लेकिन वर्तमान में निर्यात की तुलना में आयात में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और उत्पादन स्थिर है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): पिछले चार वर्ष के दौरान उर्वरकों के उत्पादन, खपत और आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन	खपत/बिक्री	आंकड़े एलएमटी में आयात
2015-16	413.14	534.07	183.54
2016-17	414.41	499.10	141.23
2017-18	413.61	515.85	154.27
2018-19	414.85	537.90	188.43

देश में उर्वरकों की आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से कहीं अधिक है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्वदेशी उत्पादन देश में उर्वरकों की खपत/बिक्री के अनुरूप नहीं है। अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाना है।

फिलहाल, देश में यूरिया की वार्षिक आवश्यकता लगभग 320 एलएमटी है जबकि वार्षिक स्वदेशी उत्पादन लगभग 240 एलएमटी पर स्थिर है। अंतर को सरकारी खाते से आयात के माध्यम से पूरा किया जाना होता है। ये आयात देश में किसानों को यूरिया की सहज और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1973 प्रख्यापित किए हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत उर्वरक निर्यात आदेश 1985 और उर्वरक (संचालन
किसानों को बाजिब कीमत पर उर्वरकों की प्रयास उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है।

परिणामस्वरूप आयात पर निषेधना घटेगी।
संयंत्रों की जगह लेगा। इस संयंत्र के चालू होने के बाद, इससे स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि होगी
नामक-1। (क्षमता 2.20 एनएमटीपीए) और नामक-11। (क्षमता 2.70 एनएमटीपीए) के मौजूदा यूरिया
प्रति वर्ष (एनएमटीपीए) का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो बाद में
वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मौजूदा परिसर में 8.646 लाख मीट्रिक टन
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 21.05.2015 को आयोजित अपनी बैठक में बहुपुत्र

यूरिया की वृद्धि होगी जिससे आयात में कमी आएगी।
2021-22 तक कार्य शुरू करने की संभावना है, से देश के स्वदेशी यूरिया उत्पादन में 63.50 एनएमटी
एनएमटी की उत्पादन क्षमता के साथ पुनर्द्धार करने का भी निर्णय लिया है। इन आगामी संयंत्रों, जिनके
द्विदुत्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई का पन्थक में 12.70
गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड), तालचर (ओडिशा) और रामगुडम (तेलंगाना) इकाइयों तथा
सरकार ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों नामतः

एनएमटी प्रति वर्ष की वृद्धि संभावित है।
कोटा, राजस्थान में बाउनफील्ड परियोजना की शुरुआत के साथ देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन में 25.40
थीनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र तथा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) द्वारा
थीक्स फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (थीक्स) द्वारा पानावाह, पश्चिम बंगाल में स्थापित
परियोजना स्थापित की है। सीएफसीएल-11। का वाणिज्यिक उत्पादन 1 जनवरी, 2019 से शुरू हुआ है।
फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) ने भी गडपान, राजस्थान में एक बाउनफील्ड
बड़ भीशन (सीबीएम) आधारित थीनफील्ड अमोनिया-यूरिया कंसेन्ट्रेट्स स्थापित किया है। चंबल
के अंतर्गत, थीक्स फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (थीक्स) ने पानावाह, पश्चिम बंगाल में कोल
उत्पादन हुआ। नई निवेश नीति-2012, नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 और इसके संशोधन के प्रावधानों
उत्पादन को अधिकतम करना; ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है जिससे लगभग 20 एनएमटी का अधिक
इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) 2015 भी अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया
अक्टूबर 2014 को इसमें संशोधन की घोषणा की। भारत सरकार ने मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया
निर्भर बनाने के लिए सरकार ने 2 जनवरी 2013 को नई निवेश नीति 2012 की घोषणा की और 7
(ग) से (ड): यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्म-

आयात पर निर्भर है।
प्राकृतिक गैस, अमोनिया, रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड आदि के लिए भी
संस्थानों की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता के कारण भारत फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के कच्चे माल, यथा
के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, की अपनी आवश्यकता के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है।
एमओपी, जिसका प्रयोग तैयार उर्वरक के रूप में और साथ ही अन्य मिश्रित उर्वरकों के लिए कच्चे माल
संबंध है, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इन उर्वरकों के आयात के सिवा कोई विकल्प नहीं है। भारत
द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक शर्तों पर इनका आयात किया जाता है। जहां तक पोपुलर उर्वरकों का
सभी गैर-यूरिया उर्वरक मूल सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं और उर्वरक कंपनियों